

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
मदार मोहम्मद शम डके थार जाति शम्भर मोरेवा		

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 330 / 2021

GCMS No. 1137/2021

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

13/11/2021

वादी श्री मदार मोहम्मद पुत्र डके थार
जाति शम्भर निवासी पोन्वा द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पोन्वा
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 1472-1473-
ग्राम पोन्वा पटवार मण्डल मोरेवा के खाता
नम्बर 144 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि
मदार मदार शम डके थार

दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम मदार मोहम्मद शम डके थार

है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर 9956 1613 5173-

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज.....

की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी पोन्वा भू.अ.नि पोन्वा
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिजात नम्बर
हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

13/11/2021